रजिस्ट्री सं. डी. एल. 33001/95 REGISTERED No. DL—33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2 नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 14, 1995 (पौष 24, 1916)

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 14, 1995 (PAUSA 24, 1916)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

औद्योगिक सम्बद्ध एवं नीति प्रभाग

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई-400 021, दिनांक 16 दिसम्बर 1994

सं० के०का०/कार्मिक/औसनी/94-95/1646— बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है ।

1. इन विनियमों का नाम सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा- (संशोधन) विनियम, 1994 होगा।

2. यह संशोधन इसके निदेशक मंडल के अनुमोदन-तिथि अर्थात 22-11-94 से प्रभावी है ।

3. संशोधन का विवरण नीचे दिया गया है :—

"94(2) कार्यग्रहण समय के दौरान अधिकारी स्थानांतरण के स्थान पर लागू परिलब्धियां प्राप्त करने के पात्र होंगे" ।

एन० बाल कृष्णन,
महाप्रबंधक (कार्मिक)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 1994

सं० यू०-16/53/94-चि० 2(प० ब०)—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951

1—419GI/94

को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में, मैं इसके द्वारा सेरमपुर की डा० (श्रीमती) अर्चना राय भट्टाचार्य को विद्यमान मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 1 जनवरी, 1995 से 31 दिसम्बर, 1995 तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने की तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, सेरमपुर केन्द्र की बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता में संदेह होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

एल० बी० परियार,
महानिदेशक

दिनांक 21 दिसम्बर, 1994

सं० वी०-33(13)-12/91-स्था० 4—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम, 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 10(1) के अधीन श्री आर० एम० सन्धु के एवज में श्री ए० के० मलहोत्रा को नियोजकों के अतिरिक्त प्रतिनिधि नामित करते हैं।

अतः निगम की अधिसूचना संख्या वी०-33(13)-12/91-स्था० 4 दिनांक 17 अगस्त, 1994 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

क्रम संख्या 9 में निम्न प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए:—

9	श्री ए० के० मलहोत्रा, अतिरिक्त प्रबन्धक (पी० एंड ए) नेशनल फर्टीलाइजर लि०, भटिण्डा, पंजाब।	नियोजकों के अतिरिक्त प्रतिनिधि

एल० बी० परियार,
महानिदेशक

श्रम मंत्रालय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

केन्द्रीय कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 नवम्बर 1994

सं० 2/1995/डी एल आई/एग्जाम/89/भाग-1/2092—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, के० एस० सरमा, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, के. एस. सरमा, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कोचीन ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची-1

क्र०सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट प्रभावी तिथि	के०भ०नि० आ० फा० सं०
1	मै० ए० जी० कृष्णा सिनाई पी० बी० नं० 2548 इर्नाकुलम कोचीन-682031	के०आर०/ 2441	1-12-86 31-12-91	डी०एल० (आई)/8(1) 94 के० आर०
2	मै० त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट को० आफ० बैंक लि० पो० आ० नं० 187 त्रिचूर-1	के०आर०/ 1899	1-4-89 28-2-90	डी०एल० (आई)/8(2) 94/के० आर०
3	मै० ओजस क्लिनिक एण्ड नर्सिंग होम मुल्लाशेरी कनाल रोड, इर्नाकुलम-682035	के० आर/ 10977	1-1-90 31-7-91	डी०एल० आई/ 8(3) 94/ के०आर०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में बीमा राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

क. एस. सरमा
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1995/डी एल आई/एक्जाम्/89/भाग-1/2099—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

और जबकि मैं, के. एस. सरमा, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से सन्तुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा की सामूहिक बीमा स्कीम, का लाभ उठा रहे हैं, जोकि उनसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, के. एस. सरमा, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि में उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मद्रास ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम में संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण की ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एस. सरमा,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

बम्बई, दिनांक 13 दिसम्बर 1994

सं० यूटी०/डी०बी०डी०एम०/609ए एस०पी०डी० 66/94-95—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, की धारा 19(1)(8) (सी) के अन्तर्गत बनाए गए सेवा निवृत्ति लाभ प्लान और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अन्तर्गत बनाई गई सेवानिवृत्ति लाभ यूनिट योजना के प्रावधान जो कार्यकारिणी समिति की 2 मई, 1994 को हुई बैठक में अनुमोदित किए गए हैं, तथा 2 जून, 1994 और 21 नवम्बर, 1994 को हुई बैठकों में संशोधित किए गए हैं, इसके नीचे प्रकाशित किये जाते हैं ।

एस० के० दासगुप्ता,
संयुक्त महा प्रबंधक, (व्यवसाय विकास और विपणन)

सेवानिवृत्ति लाभ प्लान

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 और उक्त अधिनियम की धारा 19 (1) (8) (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय यूनिट ट्रस्ट बोर्ड द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार ऐसी यूनिट योजना से सम्बन्धित सेवानिवृत्ति लाभ यूनिट योजना और प्लान बनाता है ।

योजना के उपबंध

उद्देश्य

योजना और उसके अंतर्गत बनाई गई प्लान का उद्देश्य मुख्यतः स्वरोजगार पर लगे लोगों की जरूरतों को पूरा करना है ताकि उन्हें सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने पर मासिक आय मिल सके । इस जरूरत को पूरा करने के लिए योजना और उसके अन्तर्गत बनाई गई प्लान के तहत आय, सदस्य के 58 वर्ष की आयु पूरे करने पर मासिक आधार पर अदा की जाएगी ।

1. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरंभ :

(1) यह योजना सेवानिवृत्ति लाभ यूनिट योजना कही जाएगी । योजना और उसके अन्तर्गत प्लान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 (XIII—सी) के अनुसरण में स्थापित की गई है ।

(2) यह ट्रस्ट के अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार उचित समय पर प्रभावी होगी। यूनिट बिक्री के लिए ट्रस्ट के वित्तीय वर्ष के दौरान बही बंदी की अवधि को छोड़कर खुले रहेंगे, बही बंदी का यह समय ट्रस्ट जैसा निर्णय करे, 60 दिनों से ज्यादा नहीं होगा।

[1][बशर्ते कि, तथापि, योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के अन्तर्गत बिक्री किसी भी समय मुख्य समाचार पत्रों में 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर या अन्य किसी तरीके से जैसा निश्चित किया जाए, स्थगित की जा सकेगी।]

II. परिभाषाएं :

इस योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "अधिनियम" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 है;

(ख) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है,

(ग) "आवेदक" का अर्थ वह व्यक्ति है जो योजना और उसके अन्तर्गत बनी प्लान में सहभागी होने के योग्य है और जो नाबालिग नहीं है और प्लान के खण्ड II के अन्तर्गत आवेदन करता है।

(घ) "आवेदन" का अर्थ प्लान के खंड II में संदर्भित आवेदन है।

(ङ) "निर्गमित समझे गए यूनिटों की संख्या" का अभिप्राय है बेचे गए कुल यूनिटों और बचे हुए यूनिटों की कुल संख्या।

(च) "मान्यता प्राप्त शेयर बाजार" का अर्थ वह शेयर बाजार है, जिसे फिलहाल प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

(छ) "विनियमावली" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली, 1964 है।

(ज) "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपये के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है।

(झ) "सदस्य" के रूप में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थ योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में उस आवेदक से है, जिसे वे इस योजना में यूनिट आवंटित किए गए हैं।

(ञ) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में दिये गये हैं।

III. इस योजना से सम्बन्धित आस्तियों का मूल्यांकन :

(1) इस योजना में आस्तियों के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ आस्तियों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जाएगा :

(अ) नकदी (आ) निवेश और (इ) अन्य आस्तियां।

(2) निवेशों के मूल्यांकन में निम्नलिखित को लिया जाएगा :

अ. (क) जिस कार्य दिवस को मूल्यांकन किया जाएगा उस कार्य दिवस को ट्रस्ट द्वारा धारित इस योजना से सम्बन्धित प्रतिभूतियों का शेयर बाजार में अंतिम मूल्य, लेकिन जहां प्रतिभूति का भाव एक से अधिक शेयर बाजारों में कोट हो रहा हो, वहां ऐसी प्रतिभूति के मूल्य निर्धारण की विधि ट्रस्ट द्वारा तय की जाएगी।

(ख) जहां सम्बन्धित अवधि में किसी भी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में किसी निवेश का सौदा नहीं हुआ हो या भाव कोट नहीं किया गया हो, ऐसी परिस्थितियों में ट्रस्ट ऐसे निवेश का जो भी मूल्य तय करेगा, वही उचित मूल्य होगा; और

आ. निम्नलिखित जोड़े जाएंगे :

(क) याज अर्जित करने वाली जमाराशियों के मामले में प्रोदभूत लेकिन अप्राप्त ब्याज;

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों और डिबेंचरों के मामले में प्रोदभूत लेकिन अप्राप्त ब्याज, और

(ग) लाभांश रहित भाववाले अधिमान शेयर और ईक्विटी शेयरों के मामले में घोषित लेकिन अप्राप्त लाभांश;

(3) अन्य आस्तियों का मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य पर किया जाएगा।

[1][(4) आस्तियों का मूल्यांकन यथा समय से ट्रस्ट द्वारा निर्धारित विनियमों और दिशा-निर्देशों के अधीन होगा।]

1 21/11/94 को निम्नलिखित के स्थान पर "बशर्ते कि, तथापि, अध्यक्ष योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के अन्तर्गत बिक्री को किसी भी समय मुख्य समाचार पत्रों में 7 दिनों की पूर्व सूचना देकर या अन्य किसी तरीके से जैसा निश्चित किया जाए, यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते है।"

1. 21/11/94 को शामिल किया गया।

4. योजना के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों को स्वीकृत और मान्यता नहीं दिया दिया जाना :

(1) जो व्यक्ति सदस्य के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम में सदस्यता सूचना जारी की गई है, वह व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा सदस्य के रूप में मान्य होगा और चूंकि उन यूनिटों में उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिये ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उनके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और इस योजना के अधीन यूनिटों के हक को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या इक्विटी या अन्य हित को मान्यता देने के लिए यहाँ स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधान या किसी सक्षम प्राधिकार वाले न्यायालय के आदेश को छोड़कर किसी विपरीत नोटिस या किसी न्यास के निष्पादन पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

5 यूनिट का अंतरण

इस योजना में निर्गत यूनिट अंतरणीय/गिरवी रखने अथवा समनुदेशनीय नहीं है।

6 निवेश उद्देश्य

योजना के अंतर्गत निवेश योग्य निधियों का 40% से अधिक इक्विटी और इक्विटी से संबंधित लिखतों में निवेश नहीं किया जाएगा और शेष नियत आय वाली प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार की लिखतों आदि में किया जाएगा

7. निवेश सीमा .

1[(i) सभी ऋण लिखित जिन में योजना द्वारा निवेश किया जाता है उनका ऋण पात्रता मूल्यांकन एजेंसी द्वारा निवेश श्रेणी के रूप में पात्रता-मूल्यांकन किया जायगा। बशर्ते यदि ऋण लिखत का पात्रता-मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल का विशेष अनुमोदन लिया जाएगा।

(2) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिया जाएगा।

3 निजीरूप में नियोजित डिबेंचरों, प्रतिभूति ऋणों और अन्य अनुबंधित ऋण लिखतों के जरिए किया गया निवेश योजना की कुल आस्तियों के 40% से अधिक नहीं होगा।

(4) यह योजना अपने निकाय का 5% से अधिक किसी एक कंपनी के शेयरों में निवेश नहीं करेगी।

5 इस योजना सहित योजनाओं की निधियों का 10% से अधिक किसी एकल कंपनी के शेयरों, डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया जाएगा।

6. इस योजना सहित सभी योजनाओं के अधीन जमा वाली निधि का 15% से अधिक किसी एक उद्योग के शेयरों अथवा डिबेंचरों में निवेश नहीं किया जाएगा। बशर्ते यह प्रावधान उस योजना को लागू नहीं होगा जो एक अथवा अधिक निर्दिष्ट उद्योगों में निवेशों के लिए जारी की गई है और उस आशय की घोषणा प्रस्ताव-पत्र में की गई है।

7. इस योजना से ट्रस्ट के किसी अन्य योजना में प्लान निवेशों का अंतरण ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित की गई नीतियों के अनुसार होगा।

8. यह योजना यू० टी० आई० की किसी अन्य योजना/प्लान में निवेश नहीं करेगी अथवा उसे ऋण नहीं देगी।

9. यह योजना अपने निवेशों के वित्त पोषण के लिए निधियाँ उधार नहीं लेगी।

10. ट्रस्ट परिचालनगत सुविधा के लिए या अवसरों में परिवर्तन चाहने के लिए किसी भी समय कुल निधियों को 20% से अधिक किसी भी तरह के अल्पावधि मुद्रा बाजार लिखतों बैंक जमा राशियों, बिल भुनाई या इसी तरह की अन्य जगहों पर निवेश किए रह सकता है।
बशर्ते जब तक ट्रस्ट योजना की निधियों को पूरी तरह प्रतिभूतियों में नियोजित करे, यह निधियों के ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश को ऐसे नियोजित नहीं करेगा जिसे उपरोक्त पैराग्राफ में दिये गए संदर्भ सहित उचित समझा जाए।

(क) किसी भी कंपनी की प्रतिभूतियों में ट्रस्ट द्वारा योजना की निधि का निवेश ऐसी कंपनियों को निर्गमित और बकाया प्रतिभूतियों के 15% से अधिक नहीं होगा। लेकिन किसी नये औद्योगिक उपक्रम द्वारा प्रारंभ में निर्गमित पूंजी में ऐसा कुल निवेश उस निधियों की कुल राशि के 5% से अधिक नहीं होगा।

(ख) उप खण्ड (क) में निर्धारित सीमा किसी कंपनी के रक्षित या अरक्षित बांड और डिबेंचर तथा जमा राशि में ट्रस्ट के निवेश पर लागू नहीं होगी।

व्याख्या

नई कंपनी का अर्थ उस कंपनी से है जिनके शेयर किसी भी स्टाक एक्सचेंज में योजना द्वारा शेयरों में निवेश किए जाने से पहले एक वर्ष के भीतर सूचीबद्ध हो गए हों।

(ग) ट्रस्ट परिचालनगत सुविधा के लिए या अवसरों में परिवर्तन चाहने के लिए किसी भी समय कुल निधियों का 20% से अनधिक किसी भी तरह के अल्पावधि मुद्रा बाजार लिखितों, बैंक जमा राशियों, बिल भुनाई या इसी तरह की अन्य जगहों पर निवेश किए रह सकता है। बशर्ते जब तक ट्रस्ट योजना की निधियों को पूरी तरह प्रतिभूतियों में नियोजित करे, यह निधियों के ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश को ऐसे नियोजित नहीं करेगा जिसे उपरोक्त उपखण्ड में दिए गए संदर्भ सहित उचित समझा जाए।

(घ) निवेश पर बताए गए प्रतिबंध निवेश के समय की परिस्थितियों के संदर्भ में लागू होंगे और इस बात के बावजूद उनका अतिक्रमण नहीं माना जाएगा कि बाजार मूल्य

---

1. इसे निम्नलिखित के स्थान पर 21/11/94 को शामिल किया गया।

का निवेश में उतार चढ़ाव जारी किए गए प्रतिभूतियों में निवेश किया गया है उसके बोनस शेयर या राईट्स शेयर जारी किए जाने के कारण सीमा आकार में पार हो गई हो ।

VIII. विकास पारक्षित निधि (डी०आर०एफ०) संग्रहण :

दूसरे वर्ष के बाद शुद्ध आस्ति मूल्य के 0.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से डी० आर० एफ० अलग रख लिया जाएगा ।

IX. विशेष लाभ निधि

योजना के अन्तर्गत वसूल की गई निधियों का 0.2 प्रतिशत हर वर्ष विशेष लाभ निधि के लिए अंशदान के रूप में अलग रख लिया जाएगा । ट्रस्ट सदस्यों के लाभ के लिए इस निधि की स्थापना करेगा ।

X. लेखे का प्रकाशन

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लेखों को प्रकाशित करेगा, जिसमें उस तिथि को संभाव्य अवधि का योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के कार्यों का विवरण होगा । ट्रस्ट किसी सदस्य से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित लेखे की एक प्रति भेजेगा ।

XI. योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन और संशोधन

बोर्ड समय-समय पर इस योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किये गये परिवर्धन/संशोधन की अधिसूचना सरकारी गजट में की जाएगी ।

XII. योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान की समाप्ति :

यदि परिस्थितियां आ जायें कि योजना और उसके अन्तर्गत बनी प्लान सदस्यों या ट्रस्ट के हित में नहीं है तो सदस्यों को तीन महीनों का नोटिस देकर इसे समाप्त किया जा सकता है । प्लान के समाप्त करने की स्थिति में समाप्ति की विनिर्दिष्ट तारीख के बाद किन्हीं नए व्यक्तियों को प्लान में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी । विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को जिन सदस्यों के नाम पंजी में लिखे जाते हैं । उनके बकाया यूनिट ट्रस्ट द्वारा निर्धारित दर पर या रीति से पुनः खरीद लिए जाएंगे । निर्धारित अंतिम पुनर्खरीद मूल्य के अलावा बाद की किसी अवधि के लिए पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि या लाभांश के रूप में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपचित नहीं होगा । विधिवत् भरे गए पुनर्खरीद फार्म के साथ सदस्यता सूचना के प्राप्त होने के बाद सदस्यों को देय राशि यथाशीघ्र अदा कर दी जाएगी । पुनर्खरीद के लिए मिली सदस्यता सूचना और अन्य दस्तावेज ट्रस्ट द्वारा [illegible] के लिए रख लिए जाएंगे । जब ट्रस्ट योजना और उसके अन्तर्गत बनी प्लान को समाप्त करने का निर्णय करता है तो यह सदस्यों पर आबद्धकर होगी और उन्हें योजना और उसके तहत बनी प्लान को जारी रखने के लिए ट्रस्ट को समझाने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

XIII. योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी :

योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान की प्रतिलिपि सभी संशोधनों सहित पूरे कार्य-समय के दौरान ट्रस्ट के कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी और आवेदन करने तथा पांच रुपये का भुगतान करने पर किसी भी व्यक्ति को उसकी आपूर्ति की जाएगी ।

XIV उपबंधों के अर्थनिर्धारण का अधिकार :

योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के उपबंधों के अर्थनिर्धारण का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक, बाध्यकारी और अंतिम होगा । इसके अन्तर्गत बने योजना के उपबंध और प्लान के उपबंध जैसा योजना में कहा गया है; एक दूसरे के साथ पढ़े जायें ।

XV. उपबंधों में ढील/परिवर्तन/संशोधन :

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के निर्बाध और सहज संचालन के लिए योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में ढील दे सकता है; परिवर्तित या संशोधन कर सकता है बशर्ते किसी सदस्य या सदस्य वर्ग के लिए ऐसा करना समीचीन हो ।

XVI. योजना और उसके अन्तर्गत बना प्लान सदस्यों के लिए बाध्यकारी होगा

इस योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान की शर्तों के साथ समय-समय पर इनमें किये गये संशोधन और परिवर्तन प्रत्येक सदस्य और उसके माध्यम से दावा करने वाले हरेक अन्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार बाध्यकारी होंगे, मानो वह योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के बावजूद ऐसा करने के लिए बाध्य हो ।

सेवानिवृत्ति लाभ प्लान के उपबंध

I. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

योजना के अंतर्गत जारी प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये होगा।

[1][योजना आरंभ होने की तिथि से प्रथम माह के दौरान यूनिटों का बिक्री मूल्य प्रति यूनिट एन० ए० वी० से कम से कम 5% अधिक होगा। एन० ए० वी० आधारित बिक्री मूल्य कम से कम मासिक आधार पर या ट्रस्ट द्वारा निश्चित अवधि के आधार पर घोषित किया जाएगा।]

II. यूनिटों के लिए आवेदन :

(1) यूनिटों के लिए आवेदन 18 से [2][52] वर्ष आयु वर्ष के निवासी बालिग व्यक्तियों द्वारा एकल आधार पर (अर्थात् संयुक्त आवेदनों की अनुमति नहीं है) किए जा सकते हैं। आयु पूरे किए गए वर्षों के रूप में ही मानी जाएगी। 1 जनवरी 1950 को जन्मे व्यक्ति के [3][1 जनवरी 2002] को [2][52] वर्ष पूरे हुए माने जाएंगे।

(2) आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्षका/पर्यवेक्षक न्यासी द्वारा अनुमोदित फार्म में किये जायेंगे।

III. निवेश की न्यूनतम राशि :

1 (कुल न्यूनतम निवेश 10,000/– रुपये (बिक्री मूल्य) से कम नहीं होना चाहिये, जो प्रचलित बिक्री कीमतों एक ही समय में या अलग-अलग समय में खरीदे गये यूनिटों की संख्या पर निर्भर होगा। यूनिट तीन दशमलव बिन्दुओं तक के भागों में आबंटित किये जायेंगे। न्यूनतम आरम्भिक निवेश 500 रुपये (बिक्री मूल्य) से कम नहीं होगी)।

10,000 रुपये (बिक्री मूल्य) का न्यूनतम निवेश एकमुश्त हो सकता है या किस्तों में हो सकता है, लेकिन किस्तें 20 सालाना किस्तों से ज्यादा नहीं होगी बशर्ते प्रत्येक किस्त कम से कम 500 रुपये (बिक्री मूल्य) की हो। प्रत्येक निवेश का अलग फोलियो खाता होगा। किए गये सभी निवेश उसमें शामिल होंगे। यदि कोई सदस्य प्रचलित बिक्री मूल्य पर समुचित यूनिटों की संख्या की खरीद कर एक फोलियो के अन्तर्गत 52 वर्ष की आयु के पहले न्यूनतम 500 रुपये की ज्यादा 20 वार्षिक किस्तों में जो प्रचलित बिक्री मूल्य पर खरीदे गये यूनिटो की संख्या पर निर्भर करेगी, कुल 10,000 रुपये (बिक्री मूल्य) का निवेश करने में असफल रहता है, तो यह आय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ऐसे व्यक्तियो को उनके निवेश का मूल्य वापस अदा कर दिया जायेगा। 53वें जन्म दिवस तक इसमें जो भी वृद्धी हुई हो, वह भी शामिल होगी। इसमें से शुद्ध आस्ति मूल्य के आधार पर परिकलित पुनर्खरीद राशि का दंड स्वरूप रूप काट लिया जाएगा।

---

1. 21 11 94 को निम्नलिखित के स्थान पर "यूनिटो का बिक्री मूल्य योजना और उसके अंतर्गत [बने लान के चालू रहने के दौरान सममूल्य पर होगा।"

2. 2-6-94 को "54" के स्थान पर

3. 2-6-94 को 1 जनवरी 2004 के स्थान पर

1. "कुल न्यूनतम निवेश 10,000 रुपये (1000 यूनिट) होगा। न्यूनतम आरम्भिक निवेश 2[500 रुपये (50 यूनिट)] होगा। अगले निवेश 3(50 यूनिटों) अर्थात् 4(500 रुपये) के गुणकों में होंगे। निवेश की कोई अधिकतम सीमा तक नहीं है। 10,000 रुपये का न्यूनतम निवेश या तो एकमुश्त किया किया जा सकता है, या अधिक से अधिक 5(20 वार्षिक किस्तों) में किया जा सकता है, बशर्ते प्रत्येक किस्त कम से कम 4(500 रुपये) की हो। प्रत्येक निवेशक का एक अलग फोलियो खाता होगा किये गये सभी निवेश उसमें शामिल होंगे। यदि कोई सदस्य एक फोलियो के अन्तर्गत 6(52) वर्ष के आयु से पहले कुल 10,000 रुपये (1000 यूनिट) का निवेश करने में असफल रहता है तो वह आय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियो को उनके निवेश का मूल्य अदा कर दिया जायेगा। इसमे 53 वें जन्मदिवस तक जो भी मूल्य वृद्धि हुई हो, वह भी शामिल होगी इसमें से पुनर्खरीद राशि का 15% दंड स्वरूप काट लिया जायेगा।"

2. 2–6–94 को 1000 रुपए (100 यूनिट) के स्थान पर।

3. 2–6–94 को 100 यूनिट के स्थान पर

4 2–6–94 को 1000 रुपए के स्थान पर

5. 2–6–94 को 10 वार्षिक किस्तों के स्थान पर

6. 2–6–94 को 54 के स्थान पर

दण्ड स्वरूप वसूल की गई राशि को जारी सदस्यों के लाभ के लिये प्लान में पुनः निवेशित किया जाएगा।

भुगतान विधि :

(1) (i) किसी आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन पत्र के साथ नकद चैक या ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। जहां आवेदन यू० टी० आई० के कार्यालयों में जमा किये जाए, वहां चैक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किये गये, जिस शहर में स्थित कार्यालय में आवेदन किया जाये।

लेकिन जहां आवेदक ट्रस्ट के कार्यालय वाले स्थान से भिन्न स्थान पर आवेदन करना चाहे तो आवेदित यूनिट के लिये आवेदन पत्र के साथ देय चैक ड्राफ्ट के लिये देय बैंक प्रभार पटाकर ड्राफ्ट भेजते हुए ऐसा कर सकता है।

(ii) यदि भुगतान चैक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ट्रस्ट या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा चैक प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चैक की वसूली हो। यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाय तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट जारी करने की तिथि होगी बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो। लेकिन आवेदन ट्रस्ट द्वारा उपयुक्त समझे गये समय के के भीतर ट्रस्ट या संग्रहण केन्द्र को प्राप्त हो जाए। यदि आवेदित यूनिट के लिये भुगतान की गई राशि आवेदित यूनिट के लिए देय राशि से कम हो, तो आवेदक को उतनी को कम संख्या में यूनिट जारी किये जायेंगे, जितने इस योजना के अन्तर्गत किये जा सकेंगे। उसको देय शेष राशि ट्रस्ट द्वारा यथोचित रीति से उसके खर्च पर उसे वापस कर दी जाएगी।

(2) आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार ट्रस्ट का होगा : ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक से योजना और उस के अन्तर्गत बनी प्लान में यूनिट जारी करने के लिये आवेदन स्वीकृत और/या अस्वीकृत कर सके। योजना और उसके अन्तर्गत बनी प्लान में आवेदन करने के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का निर्णय अन्तिम होगा।

अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत किये जा सकते हैं :

आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर, अस्वीकृत कर दिया जायेगा और अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकतायें पूरी होने पर बिना किसी ब्याज के, चाहे जो भी हो, आवेदन राशि ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दी जायेगी।

(3) यूनिट जारी होने के पहले आवेदक के लिए योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा

योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में यूनिटों के लिये आवेदन करने वाले व्यक्तियों को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को सन्तुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। ऐसी अपेक्षायें पूरी करने या नहीं करने के प्रति ट्रस्ट की सन्तुष्टि उसके अपने विवेक पर निर्भर होगी। गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाले व्यक्ति अपनी सदस्यता के निरस्तीकरण के लिए जिम्मेदार होगा और उसका नाम सदस्यों की पंजी से काट दिया जायेगा। ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में यथानिर्धारित मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद करे और गलती से भुगतान किये गये आय वितरण की वसूली पुनर्खरीद राशि से करे और शेष वापस कर दे। पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिये राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

V. यूनिटों की बिक्री :

ट्रस्ट द्वारा यूनिट की बिक्री सविदा, स्वीकृति तिथि को को पूरी हुई समझी जायेगी। बिक्री संविदा पूर्ण होने पर ट्रस्ट यथाशीघ्र आवेदक को सदस्यता सूचना डाक से भेजेगा। जो इस बात का साक्ष्य होगा कि उसे योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। प्रेषित सदस्यता सूचना के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलिवरी होने या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा।

यदि निवेश किस्तों में किया जाता है तो सदस्यता सूचना पहली किस्त के समय ही भेजी जाएगी। उसके बाद केवल प्राप्ति रसीद ही जारी की जायेंगी। अगली किस्त वार्षिक विवरणी में दिखाई जायेगी जो सदस्य को हर वर्ष भेजी जायेगी। उसके बाद योजना और उसके अन्तर्गत बनी प्लान में सदस्य की धारिता का चालू मूल्य भी उसे वार्षिक आधार सूचित किया जायेगा।

VI. यूनिटों की पुनर्खरीद

(1)(1) पुनर्खरीद की अनुमति सदस्य की 70 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद या विशेष परिस्थितियों में ही दी जायेगी (ट्रस्ट के पूर्ण स्वविवेक पर)। योजना और उसके अन्तर्गत बनाये गये प्लान में समय से पूर्व आहरण के मामले में सदस्य की 70 वर्ष की आयु पूरा होने के एन० ए० वी० के आधार पर परिकलित पुनर्खरीद राशि पर 10 जुर्माना लगाया जायेगा। इसके अतिरिक्त, सदस्य पुनर्खरीद के माह के पहले माह तक आय वितरण वारन्ट, यदि कोई हो, को भुगतान भुनाने के हकदार भी होंगे। समय से पूर्व आहरण पर किये गये जुर्माने की राशि का, जारी सदस्यों के लाभ के लिये प्लान में पुनर्निवेश किया जायगा।

2[(1ए) सदस्य पर उप खण्ड (1) में दिये गये प्रावधान रिक्ति के अनुसार पुनर्खरीद के लिये यूनिटों की पेशकश करने की कोई बाध्यता नहीं होगी और प्लान के चालू रहने के दौरान वह जब तक चाहे यूनिटों को रख सकता है।

(2) 3[ट्रस्ट एन० ए० वी० पर यूनिटों की पुनर्खरीद करेगा। इसके अतिरिक्त सदस्य पुनर्खरीद माह के पहले माह तक आय वितरण वारन्ट को भुनाने का हकदार होगा। पुनर्खरीद विधिवत् रूप से भरे गये पुनर्खरीद फार्म के साथ सदस्यता सूचना प्राप्त करने पर प्रभावी होगी। फोलियो के अन्तर्गत सभी यूनिटों का पुनर्खरीद करना होगा। आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति नहीं दी जायेगी। पुनर्खरीद के लिये आवेदन करते समय सदस्य को पुनर्खरीद के महीने वारन्ट सहित सभी बकाया अदत्त वितरण वारन्टों को ट्रस्ट को देना होगा। ट्रस्ट पुनर्खरीद फार्म के साथ सदस्यता सूचना स्वीकार करने के बाद, भविष्य के महीनों के लिये यूनिटों पर आय वितरण का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं होगा, नहीं पुनर्खरीद राशि पर कोई ब्याज देय होगा। प्राप्त किये गये सभी दस्तावेज और अदत्त आय वितरण वारन्ट यदि कोई हो, को रद्द करने के लिये ट्रस्ट के पास रहेंगे।]

(3) पूर्ववर्ती उप-खण्डों में अन्तर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिट की पुनर्खरीद करते समय सदस्य द्वारा उस समय तक बकाया आय वितरण वारन्टों की भविष्य में देय राशि पुनर्खरीद मूल्य में घटाकर सदस्य को शेष राशि का भुगतान करने के लिये स्वतन्त्र होगा। ट्रस्ट को सदस्यता सूचना और पुनर्खरीद फार्म प्राप्त हो जाने के बाद सदस्य को स्वीकृति माह के आय वितरण सहित भावी आय वितरण प्राप्त करने का अधिकार नहीं रह जायेगा और ऐसे बकाया आय वितरण की राशि का दावेदार ट्रस्ट होगा।

(4) सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कानूनी प्रतिनिधि या नामित द्वारा सदस्यता सूचना, पुनर्खरीद फार्म और बकाया अदत्त आय वितरण वारन्ट ट्रस्ट को सौंपे जाने के बाद वह (ट्रस्ट) दावे की मान्यता सम्बन्धी औपचारिकतायें पूरी होने पर ट्रस्ट द्वारा बनाये गये नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार यूनिटों की पुनर्खरीद करेगा।

---

1. "21-11-94 को निम्नलिखित के स्थान पर पुनर्खरीद की अनुमति सदस्य की 70 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद दी जायेगी या विशेष मामलों में ट्रस्ट के पूर्ण स्वविवेक पर परिस्थितियों में योजना और इसके अन्तर्गत बनाये गये प्लान में समय से पूर्व आहरण के मामले में सदस्य 70 वर्ष की आयु पूरा करने के पहले पुनर्खरीद राशि पर 10% जुर्माना लगाया जायेगा।

2 दिनांक 21-11-94 को शामिल किया गया।

3. 21-11-94 को निम्नलिखित के स्थान पर ट्रस्ट यूनिटों की पुनर्खरीद उस मूल्य, पर करेगा जिसे ट्रस्ट प्रशासनिक लागत को घटाने के बाद जो अंकित मूल्य के 5% से अधिक नहीं होगा और पिछले माह तक की आय को जोड़कर निर्धारित और घोषित करेगा।

पुनर्खरीद पूर्ण रूप से भरे गये पुनर्खरीद फार्म के साथ सदस्यता सूचना प्राप्त करने के बाद प्रभावी होगी। फोलियो के अन्तर्गत सभी यूनिटों को पुनर्खरीद की जायेगी। आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति नहीं दी जायेगी। सदस्य को पुनर्खरीद के लिये आवेदन करते समय पुनर्खरीद माह तक के वारन्ट सहित सभी बकाया आय वितरण वारन्टों ट्रस्ट को सौंपना होगा।

ट्रस्ट पुनर्खरीद फार्म के साथ सदस्यता सूचना स्वीकार करने के बाद, भविष्य के महीनों के लिये यूनिटों पर आय वितरण का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं होगा। न ही पुनर्खरीद राशि पर ब्याज देय होगा। प्राप्त किये गये सभी दस्तावेज और अदत्त आय वितरण वारन्ट, यदि कोई हो, रद्द करने के लिये ट्रस्ट के पास रहेंगे।

(5) ट्रस्ट द्वारा कटौती, यदि हो, करने के बाद पुनर्खरीदे गए यूनिटों के लिये भुगतान स्वीकृति तिथि के बाद यथासीघ्र आवेदक द्वारा आवेदन फार्म में लिखी गई रीति से किया जायेगा। आवेदक को देय राशि पर किसी भी कारण से कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा ट्रस्ट द्वारा प्रेषित चैक या ड्राफ्ट का प्रेषण (डाक खर्च सहित) या वसूली खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।

VII यूनिटों की पुनर्खरीद पर प्रतिबन्ध

योजना और उसके अन्तर्गत बनी प्लान के किसी भी उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिटों की पुनर्खरीद के लिये बाध्य नहीं होगा :

(i) ऐसे दिन, जो कार्य दिवस नहीं हो, और

(ii) ऐसी अवधि में जब बही और लेखे की वार्षिक बन्दी (ट्रस्ट द्वारा यथा अधिसूचित) के सम्बन्ध में सदस्यों की पंजी बन्दी हो।

स्पष्टीकरण .

इस योजना और इसके अन्तर्गत बनी प्लान के प्रयोजन शब्द "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो

(i) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, कार्यालयों में, सर्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत अधिसूचित हो और न ही

(ii) भारत के राजपत्र के ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि ट्रस्ट का आर्यालय बन्द रहेगा।

VIII सदस्यता सूचना :

योजना और इसके अन्तर्गत बनी प्लान में जारी यूनिटों की सदस्यता के सम्बन्ध में किसी सदस्य को यूनिट-सदस्यता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा। उनको सदस्यता सूचना दी जायगी, जो योजना और इसके अन्तर्गत बनी प्लान में सदस्य के रूप में स्वीकृति का साक्ष्य होगी। सदस्यता सूचना इसके साथ अनुबन्ध फार्म ए के अनुसार होगी।

IX सदस्यता सूचना का विनियम और उसके कट फट जाने, विरुपित हो जाने, खो जाने आदि की स्थिति में प्रक्रिया

योजना और इसके अन्तर्गत बनी प्लान में सदस्य उक्त प्रयोजनार्थ ऐसे नियमों-दिशा निर्देशों प्रक्रियाओं का पालन करें और ऐसे दस्तावेजों का निष्पादन करेंगे, जो समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा बनाये जायेंगे अपेक्षित होंगे।

X सदस्यों की पंजी

सदस्यों के पंजीकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे

(1) ट्रस्ट द्वारा सदस्यों की पंजी रखी जायेगी और अन्य बातों के साथ-साथ पंजी में निम्नलिखित दर्ज किये जायेंगे

(क) सदस्यों के नाम और पते :

(ख) सदस्यता सूचना की संख्या और हरेक ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित यूनिटों की संख्या; और

(ग) वह तिथि जिसको ऐसा व्यक्ति अपने पास के यूनिटों का धारक हो गया।

(2) सदस्य की ओर से उसके नाम और पते के परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को दी जायेगी। ट्रस्ट ऐसे परिवर्तन से सन्तुष्ट होने पर और यथा-अपेक्षित औपचारिकतायें पूरी करने पर तदनुसार पंजी में परिवर्तन किया जायेगा।

(3) इसके बाद अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार केवल पंजी "बन्दी" को छोड़कर, कार्य समय के दौरान ('ट्रस्ट द्वारा यथानिर्नीत समुचित प्रतिबन्धों के साथ प्रत्येक कार्य दिवस को न्यूनतम दो घण्टे के लिये पंजी के निरीक्षण की अनुमति दी जायेगी) सदस्य के निशुल्क निरीक्षण के लिये पंजी खुली रहेगी।

(4) ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित समय और अवधि के लिये पंजी बन्द रहेगी, लेकिन एक वर्ष में 60 दिन से अधिक समय के लिये बन्द नहीं रहेगी। ट्रस्ट समाचार पत्रों में या अन्य माध्यम से विज्ञापन द्वारा ऐसी बन्दी की सूचना देगा।

(5) किसी यूनिट से सम्बन्धित कोई स्पष्ट निहित और रचनात्मक सूचना पंजी में दर्ज नहीं की जायेगी।

XI ट्रस्ट के उन्मोचन करने के लिये सदस्य द्वारा रसीद. योजना और उसके अन्तर्गत बनी प्लान के यूनिटों के सम्बन्ध में सदस्य को प्रदत्त राशि के लिये उसके द्वारा दी गई रसीद ट्रस्ट के प्रति अच्छा उन्मोचन होगा।

XII सदस्यों द्वारा नामांकन

सदस्य विनियमों में उपबन्धित सीमा तक नामांकन करने या निरस्त करने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

XIII सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन

(1) सदस्य की मृत्यु हो जाने पर ट्रस्ट द्वारा नामिती को योजना और उसके अन्तर्गत बनी प्लान के

यूनिटों के हकदार होने की मान्यता दी जायगी, वैध नामांकन न होने की स्थिति में मृत व्यक्ति का निष्पादक का प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) के भाग X के अन्तर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का धारक हो वह व्यक्ति होगा, जिसे यूनिट के हकदार के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जा सकती है।

(2) सदस्य की मृत्यु के परिणामस्वरूप यूनिटों का हकदार बनने वाला कोई भी व्यक्ति अपने हक का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, जो ट्रस्ट की दृष्टि से सन्तोषजनक हो, दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा सारी औपचारिकताओं का अनुपालन किये जाने के बाद मृत सदस्य के नाम जमा यूनिटों के पुनर्खरीद मूल का हकदार होगा।

(3) सदस्य की मृत्यु की स्थिति में नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी को यह विकल्प होगा कि वह बकाया यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य का यू० टी० आई की किसी अन्य स्कीम/प्लान में, जो उस समय खुली हो, निवेश कर ले, बशर्ते नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी ऐसी स्कीम/प्लान के उपबन्धों के अनुसरण में ऐसी स्कीम/प्लान में शामिल होने का अन्यथा पात्र है। संबंधित नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी के लिये ऐसा परिवर्तन बिना किसी अतिरिक्त लागत के किया जायेगा।

(xiv) आय वितरण :

(1) प्रतिलाभ की कोई पक्की दर नहीं होगी। ट्रस्ट अपने विवेक से प्रतिलाभ की दर तय करेगा और आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन करेगा। संशोधित दर भी सदस्यों पर आबद्धकर होगी। ट्रस्ट दर निर्धारित करने के बाद यथाशीघ्र, जिस रीति से उचित समझे, प्रकाशित करेगा।

[1][जब तक सदस्य आय वितरण प्राप्त करने के लिये योग्य नहीं बन जाते, प्रति वर्ष जुलाई माह में प्रतिफल की ऊपर उल्लिखित दर के अनुसार घोषित आय का उसी वर्ष के जुलाई माह में यूनिटों के बिक्री मूल्य के अनुसार अतिरिक्त यूनिटों में पुनर्निवेश किया जायेगा। प्लान के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री के पहले वर्ष में बिक्री अवधि के लिये समानुपातिक आय घोषित की जायेगी और पुनर्निवेशित की जाएगा।]

(2) सदस्यों को वितरण योग्य आय इसमें दिये गये उपबन्धों के अनुसार गणना कर सदस्य के 58 वर्ष की आयु पूरा करने पर मासिक आधार पर अदा की जायेगी।

(3) आय प्रत्येक वर्ष के शुरू में उत्तर दिनांकित आय वितरण वारन्टों के जरिये दी जायेगी। पहला आय वितरण समानुपातिक आधार पर अदा किया जायेगा, जो सदस्य के 58वें जन्म दिवस के महीने पर निर्भर करेगा। उदाहरणार्थ यदि सदस्य का 58वां जन्मदिवस अक्तूबर, 2002 में आता है तो सदस्या को आय वितरण वारन्ट जुलाई 2002 में 9 महीनों (अर्थात् अक्तूबर, 2002 से जून 2003) के लिये भेजे जायेंगे। बाद के वर्षों के लिये आय वितरण वारन्ट जुलाई महीने में एक ही बार एक वर्ष के लिये अग्रिम भेज दिये जायेंगे।

तथापि ट्रस्ट ऐसे सदस्यों को, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के लिये जिसे ट्रस्ट निर्धारित करें, उत्तर दिनांकित आय वितरण वारन्ट भेजने का अधिकार आरक्षित रखता है।

(4) उप खण्ड (3) के उपबन्धों के अधीन सदस्य को मासिक आधार पर आय वितरण के भुगतान के लिये वारन्ट एक वर्ष में एक बार भेजे जायेंगे और उन पर तारीख इस प्रकार जारी जायेगी कि सदस्य प्रत्येक वारन्ट के भुगतान के लिये परिपक्व होने पर उसका नगदीकरण करवा सके। प्रत्येक वारन्ट तीन माह तक वैध रहेगा। यदि वारन्ट वैधता अवधि के समाप्त होने से पहले सदस्य तक नहीं पहुंचते हैं या वे पुराने पड़ जाते हैं तो ट्रस्ट ब्याज अदा करने के लिये बाध्य नहीं होगा।

(5) पुनर्खरीद की स्थिति में, (सदस्य के 70 वर्ष पूरे करने के बाद) जो हमेशा पूर्णतः की जायेगी, यदि सदस्य अदत्त वारन्टों को नहीं देता है और यदि वे बाद के महीनों के लिये हो और परिपक्वता तारीखों को सदस्यों के पास ही हो तो सदस्य उसका नकदीकरण करने का हकदार होगा और ऐसे आय वितरण वारन्टों की राशि पुनर्खरीद राशियों में से काट ली जायेगी।

(6) उपरोक्त खण्डों में किसी बात के होने के बावजूद ट्रस्ट अपना यह अधिकार आरक्षित रखता है कि यदि समिश्रीनता, लागत, सदस्यों के ब्याज और अन्य परिस्थितियों के कारण ट्रस्ट के लिये आवश्यक हो जाय, तो ट्रस्ट आय वितरण को, जैसा भी मामला हो, तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर कर सकता है। ऐसी टिप्पणी में ट्रस्ट अंग्रेजी भाषा के दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा सदस्यों को अधिसूचना देगा।

[1]21-11-94 को शामिल किया गया।

ट्रस्ट द्वारा उपरोक्त अधिसूचना दे देने के बाद किसी भी सदस्य को आय वितरण मासिक आधार पर प्राप्त करने का अधिकार नही होगा।

[1][XV शुद्ध आस्ति मूल्य (एन० ए० वी०) का निर्धारण.

प्लान के शुद्ध आस्ति मूल्यक का परिकलन आस्तियो योजना की आस्तियो का मूल्य निर्धारित योजना की देयताओ को घटाकर और प्रोद्भवन और प्रावधानो को मद्धे नजर रखते हुए जारी यूनिटो की कुल सख्या और, उक्त तिथि को बकाया यूनिटो मे विभाजित करके प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन किया जायगा। वह एन० ए० वी० कम से कम दो दैनिक अखबारो में ऐसे अन्तराल मे प्रकाशित किया जायगा। जो 15 दिनो से अधिक नही होगा या ऐसे अन्तराल पर होगा जिन्हे सेबी द्वारा एन० ए० वी के दिशानिर्देशों के लिये तय किया गया हो। ए० ए० वी० का निर्धारण यथा समय सेबी द्वारा विहित दिशानिर्देशों और विनियमो के अधीन होगा।

फार्म ए

चिन्ह

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

सेवा निवृत्त लाभ प्लान

(खण्ड VIII)

सदस्यता सूचना

सेवा निवृत्ति लाभ योजना के अन्तर्गत बनाई गई सेवा निवृत्ति लाभ प्लान के उपबन्धानुसार जारी

1 21-11-94 को शामिल किया गया।

साक्षी का हस्ताक्षर

नाम----------

पेशा:

पता :

अहस्तान्तरणीय

सदस्यता स०

फोलियो सं०

यूनिटो की संख्या (अंकित मूल्य रु० 10/— प्रति यूनिट)

सदस्य का नाम

पता

कृते भारतीय यूनिट ट्रस्ट
आंचलिक प्रमुख

स्थान :

तिथि :

सेवा निवृत्ति लाभ योजना और सेवा निवृत्ति लाभ प्लान के अन्तर्गत जारी यूनिटो की पुनर्खरीद करने के लिये आवेदन पत्र

दिनांक ----------

प्रति
भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मैं----------भारतीय यूनिट ट्रस्ट की सेवा निवृत्ति लाभ प्लान के अन्तर्गत फोलियो सं० --------मे सभी यूनिटो का पजीकृत सदस्य/नामिती/उत्तराधिकारी/मृत सदस्य का विधिक उत्तराधिकारी हू और सभी उक्त यूनिटो को इस आवेदन पत्र को स्वीकृति तिथि को प्रचलित मूल्य ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर ट्रस्ट को बेचने का इच्छुक हैं।

जारी की गई सदस्यता सूचना संलग्न है।

यूनिटो का पुनर्खरीद मूल्य मुझे* चैक बैंक/ड्राफ्ट द्वारा नीचे दिये गये पत्ते पर भेज दिया जाय।

सदस्य/नामिती विधिक उत्तराधिकारी का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान**

1 ----------

(सदस्य या नामिती या विधिक उत्तराधिकारी का पता/बैंकर का पता यदि सदस्य के हस्ताक्षर शैली (स्टाइल) में अन्तर हो और उस बैंकर द्वारा सत्यापित हो तो ऐसे मामले में चेक/मांग ड्राफ्ट सीधे बैंक को भेजा जायेगा।

खाता सं० ----------

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिये स्वीकृति तिथि

*जो शब्द लागू नही हो उसे काट दें।

**यदि सदस्य अंगूठे का निशान लगा रहा है, तो उसे दण्डाधिकारी/नोटरी/राज्य/केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी या रिजर्व बैंक/आर० बी० आई/आई० डी० बी० आई के अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिये।

CENTRAL BANK OF INDIA

(INDUSTRIAL RELATIONS AND POLICY WING)
(CENTRAL OFFICE)

Bombay-400 021, the 16th December 1994

No. CO : PRS : IRP/94-95/1646.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of *Central Bank of India*, in consultation with the Reserve Bank of India and with the pervious sanction at the Central Government hereby make the following regulations further to amend the Central Bank of India (Officers') Service Reglations, 1979 nemely :—

1. These regulations may be called the Central Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations 1994.

2. This amendment shall come into force on and from the date on which the same has been approved by its Board of Directors i.e. 22/11/94.

3. The details of the amendment is as under :

"49(2) During the joining time an officer shall be eligible to darw the emoluments as applicable to the place of transfer:"

N. BALAKRISHNAN
General Manager (PRS)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 5th December 1994

No. U-16/53/94-Med. II(W.B.).—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation, at its meetnig held on 25th April, 1951, conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Reglation 105 of the ESI General) Regulations 1950, I hereby authorise Dr. (Mrs.) Archana Roy (Bhattacharjee) of Serampore centre to function as medical authority w.e.f. 1-1-1995 to 31-12-1995 or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Serampore centre at a monthly remuneration as per existing norms, on the basis of number of insured persons and the area to be allocated by the Dy. Medical Commissioner (East Zone) Calcutta, for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

L. B. PARIYAR
Director General

The 21st December 1994

No. V-33(13)-12/91-Estt. IV.—In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the ESI (General) Regulations, 1950, the Chairman, ESI Corporation nominates Shri A. K. Malhotra, as Employers' Additional Representative in place of Shri R. S. Sandhu, under Regulation 10(1) of the ESI (General) Regulations, 1950.

Now, therefore, the following amendment is made in the Corporation's Notification No. V-33(13)-12/91-Estt. IV dated 17-8-1994.

Substitute entry against Sl. No. 9 by the following :—

9. Shri A. K. Malhotra, Additional Manager (P&A), National Fertilizers Ltd., Bhatinda (Punjab)—Employers' Additional Representative.

L. B. PARIYAR
Director General

MINISTRY OF LABOUR

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(CENTRAL OFFICE)

New Delhi-110001, the 8th November 1994

S.O. No. 2/1959/DLI/Exemp 89/Pt.I/2092.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have appplied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, K. S. Sarma Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, K. S. Sarma, hereby exempt each of the said mentioned establishment in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said scheme has been granted by the R.P.F.C. Kochi from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

Sr. No.	Name & Address of Estt.	Code No.	Effective date of exemption		C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. A. G. Krishna Shenoy, P. B. No. 2548, Ernaculam, Cochin-682031.	KR/2441	1-12-88 to	31-12-91	DLI/8 (1) 94/ KR
2.	M/s. The Trichur Distt. Co-op. Bank Ltd., P. B. No. 187, Trichur-1.	KR/1899	1-4-89 to	28-2-90	DLI/8 (2) 94/ KR.
3.	M/s. Ojus Clinic and Nursing Home, Mullassery Road, Ernakulam-682035.	KR/10977	1-1-90 to	31-7-91	DLI/8 (3) 94/ KR.

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct clause (a) sub-Section (2A) of Section 17 of said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) /legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. S. SARMA
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89|Pt.I/2099.—WHEREAS, the employers of the establishments mentoned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2B) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, K. S. SARMA, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, K. S. SARMA, hereby exempt each of the said establishment mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C., Madras from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the *premium* etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporatoin of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. S. SARMA
Central Provident Fund Commissioner

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 13th December 1994

No. UT/DBDM/609A/SPD/66/93-94.—The provisions of the Retirement Benefit Plan formulated under Section 19(1)(8)(c) of the Unit Trust of India Act and the Retirement benefit Unit Scheme made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the Meeting held on 2nd May, 1994 and amended in the Meeting held on 2nd June, 1994 and 21st November, 1994 are published herebelow.

S. K. DASGUPTA
Joint General Manager
Business Development & Marketing

RETIREMENT BENEFIT PLAN

In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) and Section 19 (1) (8) (C) of the said Act, the Board of the Unit Trust of India hereby makes the Retirement Benefit Unit Scheme and Plan in relation to such Unit Scheme as per the following provisions.

PROVISIONS OF THE SCHEME

Objective :

The scheme and plan made thereunder mainly aims at meeting the need of self-employed people for a monthly income on attaining the age of retirement. To meet this need, income under the scheme and plan made thereunder will be paid out monthly, on completion of 58 years of age of the member.

I. *Short Title and Commencement* :

(1) This Scheme shall be called the Retirement Benefit Unit Scheme. The Scheme and the Plan thereunder have been set up pursuant of Section 88 (xiii-c) of the Income Tax Act 1961.

(2) It shall come into force at an appropriate time as may be decided by the Chairman of the Trust. Units will be on for sale throughout the financial year of the Trust except during the period of book closure not exceeding 60 days in a year as may be decided by the Trust.

[1][Provided, however, that the sales under the Scheme and the Plan made thereunder may be suspended at any time by giving 15 days prior notice in the leading newspapers or in such other manner as may be decided.]

II *Definitions* :

In this scheme and plan made thereunder, unless the context otherwise requires :—

(a) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963;

(b) "acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of Units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(c) "Applicant" means an individual who is eligible to participate in the scheme and plan made thereunder is not a minor and makes an application under Clause II of the Plan.

(d) "Application" means the application referred to in Clause II of the Plan.

(e) "number of units deemed to be in issue" means the aggregate of the number of units sold and remaining outstanding.

(f) "recognised stock exchange" means a stock exchange, which is, for the time being recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

(g) "regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43(1) o the Act.

(h) "unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital.

(i) "member" unsed as an expression under the scheme and plan made thereunder shall mean the applicant who has been allotted units under the scheme

1. Substituted for "Provided, however, that the Chairman may suspend the sale of units under the scheme and plan made thereunder at any time by giving 7 days' prior notice in leading newspapers or in such other manner as may be decided" on 21-11-94

(j) all other expressions not defined herein but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them by the Act.

III. *Valuation of assets pertaining to this scheme.*

(1) For the purpose of valuation of the assets under the scheme, the assets shall be classified into : (A) cash (B) investments and (C) other assets.

(2) Investments shall be valued by taking :

A. (a) the closing prices on the stock exchange as on the working day on which the valuation is made of the securities held by the Trust pertaining to this scheme provided where security is quoted on more than one stock exchange, the manner of determining the price of such security shall be decided by the Trust.

(b) where any investment was not, during the relevant period, dealt in, of quoted on any recognised stock Exchange, such value as the Trust may in the circumstances consider to be the fair value of such investments; and

B. Adding thereto :—

(a) in the case of interest earning deposits, interest accrued but not received;

(b) in the case of Government Securities and debentures, interest accrued but not received, and

(c) in the case of preference shares and equity shares quoted ex-dividend any dividend declared but not received.

(3) Other assets shall be valued at their book value.

[1][(4 Valuation of asse s will be subject to Regulations and Guidelines that may be prescribed by SEBI in due course.]

IV. *Trusts not to be admitted and recognised for the purpose of the scheme*

The person who is registered as the member and in whose name a membership advice has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the member and as having any right, title or interest in or to such units; and the Trust may recognise such member as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the executive or any Trust or, save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any units represented in the scheme.

V. *Transfer of Units*

Units issued under the Scheme are not Transferable/pledgeable/Assignable.

VI. *Investment Limits*

Not more than 40% of the investible funds under the scheme shall be invested in equities and equity related instruments and the remaining in fixed income securities, money market instruments etc.

VII. *Investment Limits*

1[(i) All debt instruments in which investments are made by the Scheme shall be rated as investment grade by a credit rating agency; Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(ii) No term loans will be advanced by this Scheme

(iii) Investments by way of privately placed debentures securitised debts and other unquoted debt instruments shall not exceed 40% of the total assets of the Scheme.

(iv) The Scheme shall not invest more than 5% of its corpus in any one company's shares.

(v) Not more than 10% of the funds of all the Schemes taken together including this Scheme shall be invested in shares, debentures or other securities of a single company.

(vi) Not more than 15% of the funds under all Schemes including this scheme shall be invested in the shares and debentures of any one industry; Provided that provision shall not apply to a Scheme which has been floated for investments in one or more specified industries and a declaration to that effect has been made in the offer letter.

(vii) Transfers of investments from this Scheme to another scheme/Plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(viii) The Scheme shall not invest in or lend to another UTI Scheme/Plan.

(ix) The Scheme shall not borrow funds to finance its investments.

(x) The Trust may for operational convenience or to seek changes in opportunities keep invested at any time not exceeding 20% of the total funds in any short term money market instrument, bank deposits, bills rediscounted or similar other avenues. Provided that till the Trust fully employs the funds of the Scheme in securities, it may keep the funds not so employed invested in such securities as may be considered expedient including those referred to in above paragraph.]

VIII. *Development Reserve Fund (DRF) contribution*

DRF at the rate of 0.05% of NAV per annum will be kept aside from the second year onwards.

1 Substituted on 21-11-94 for the following :

(a) Investments by the Trust from the funds of the scheme in the securities of any company shall not exceed 15% of the securities issued and outstanding of such companies. Provided that the aggregate of such investments in the capital initially issued by new industrial undertakings shall not at any time exceed 5% of the total amount of the said funds;

(b) The limits prescribed under sub-clause (a) shall not apply to investments of the Trust in bonds and debentures and deposits of a company whether secured or not;

Explanation : A new company means a company whose shares have been listed on any Stock Exchange first within one year prior to investment in the shares by the Scheme;

(c) The Trust may for operational convenience or to seek changes in opportunities keep invested at any time not exceeding 20% of the total funds in any short term money market instrument, bank deposits, bills rediscounted or similar other avenues. Provided that till the Trust fully employs the funds of the scheme in securities, it may keep the funds not so employed invested in such securities as may be considered expedient including those referred to in Sub clause (c) above;

(d) The restrictions on investment prescribed shall be applied with reference to circumstances at the time the investments are made and shall not be deemed to have been exceeded, notwithstanding that, by reason of fluctuation in the market price of investments, or by reason of issue of bonus shares or right shares by the company in whose securities investments have been made, the limit is in fact exceeded.

1. Inserted on 21-11-94.

IX. *Special Benefit Fund* :

0.2% of the funds collected under the scheme every year shall be set aside as contribution towards the Special Benefit Fund to be set up by the Trust for the benefit of members.

X. *Publication of Accounts* :

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board showing the working of the scheme and plan made thereunder during the period ending as of that date. The Trust shall on a request in writing received from a member furnish him a copy of the accounts so published.

XI. *Additions and Amendments to the scheme and plan made thereunder* :

The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and the plan made thereunder and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette.

XII. *Termination of the Scheme and the Plan made thereunder* :

The Scheme and the Plan made thereunder may if circumstances so prevail not being in the interest of the members or the Trust be terminated by giving a notice of three months to the members. In the event of termination of the Plan no new entrants shall be allowed to join the Plan after the specified date of termination. The outstanding units of the members whose names are entered in the Register on the date to be specified shall be repurchased at such a rate and such manner as may be decided by the Trust. Besides receiving the final repurchase price so determined no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of dividend for any subsquent period shall accrue. The Members shall be paid the amount due as early as possible after the Membership Advice with the form of repurchase duly completed has been received by it. The Membership Advice and other documents received for repurchase shall be retained by the Trust for cancellation. When the Trust decides to terminate the scheme and plan made thereunder, it will be binding on the members and they shall have no right to persuade the Trust to continue the scheme and plan made thereunder.

XIII. *Copy of Scheme and the Plan made thereunder to be made available* :

A copy of this scheme and the Plan made thereunder incorporating all amendments thereto shall be made available for inspection at the offices of the Trust at all times during its business hours and may be supplied by the Trust to any person on application and payment of Rupees five.

XIV. *Power to construe provisions* :

Should any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions of the scheme and the plan made thereunder, Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the scheme and the plan made thereunder, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the scheme and the plan made thereunder and such decision shall be conclusive, binding and final.

The provisions of the scheme formulated hereunder and the provisions of the plan as stated in the scheme shall be read in conjunction to each other.

XV. *Relaxation/variation/modification of provisions* :

Chairman, and if no one is appointed as Chairman, the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the scheme and the plan made thereunder, relax, vary or modify any of the provisions of the scheme and the plan made thereunder in case of any member or class of members upon such terms as may be deemed expedient.

XVI. *Scheme and the Plan made thereunder to be binding on members* :

The terms of the scheme and the Plan made thereunder including any amendments, changes thereto from time to time shall be binding on each member and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding not withstanding anything contained in the provisions of the scheme and plan made thereunder.

PROVISIONS OF THE RETIREMENT BENEFIT PLAN

I. *Face value of each unit* :

The face value of each unit issued under the scheme shall be ten rupees.

1 [The sale price of units shall be at par during the first month from the date of launch, thereafter the price per unit will be atleast 5% higher than the NAV per unit. The NAV based sale price will be declared atleast on a fortnightly basis or as frequently as may be decided by the trust.]

II. *Application for units* :

(1) Applications for units can be made only by Resident adult individuals in the age group of 18 to 4[54] years on a single basis (i.e. joint applications are not allowed). Age will be considered in completed years. A person born on 1st January 1950 will be considered as having completed 4[54] years on 5[1st January 2004.]

(2) Application shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

III. *Minimum amount of Investment* :

1[The overall minimum investment shall not be less than Rs. 10,000/- (sale value) depending upon the no. of units purchased at one time or at different points of time at the prevailing sale prices. Units shall be allotted in fractions of upto three decimal points. Minimum initial investment shall be not less than Rs. 500/- (sale value).

---

1. Substituted for "The sale price of units shall be at par throughout the currency of the Scheme and the Plan made thereunder" on 21-11-94.
2. Substituted for "54" on 2-6-94.
3. Substituted for "1st January 2004" on 2-6-94.
1. Substituted for "The overall minimum nivestment shall be Rs. 10,000/- (1000 units). Minimum initial investment may be 4[Rs. 500 (50 units)]. Further investments shall be in multiples of 5[50 units] i.e. 4[Rs. 500/-]. There is no maximum limit on investment. The minimum investment of Rs. 10,000/- can be made either in lumpsum or in not more than 5[10 annual instalments] provided that each instalment is for a minimum of 4[Rs. 500/-].

Each investor shall have a separate folio account under which all investments made shall be included. In case a member fails to invest a total of Rs. 10,000 (1000 units) before the age of 6[54] years under a folio, he/she shall not be entitled for receiving the income. Such people will be paid back the value of their investment including whatever application is there till the 55rd birthday, after deducting 15% of the repurchase amount as penalty' on 21-11-94.

2. Substituted for Rs. 1000 (100 units) on 2-6-94.
3. Substituted for 100 units on 2-6-94.
4. Substituted for Rs. 1000/- on 2-6-94
5. Substituted for 10 annual instalments on 2-6-94
6. Substituted for 54 on 2-6-94.

The minimum investment of Rs. 10,000/- (sale value) can be either in lumpsum or in not more than 20 annual instalments provided each instalment is for a minimum of Rs. 500/- (sale value).

Each investor shall have a separate folio account under which all investments made shall be included. In case a member fails to invest a total of Rs. 10,000/- (sale value) by purchasing appropriate no. of units at prevailing sale price in not more than 20 annual instalments of minimum Rs. 500/- (sale value) depending upon the no. of units purchased at prevailing sale price, before the age of 52 years under a folio, he/she shall not be entitled for receiving the income. Such people will be paid back the value of their investment including whatever appreciation is there till the 53rd birthday, after deducting 15% of the repurchase amount to be calculated on NAV as penalty.

The amount so recovered as penalty will be ploughed back into the Plan for the benefit of continuing members.]

IV. *Mode of Payment* :

(1) (i) The payment for units applied for by an applicant shall be made by him alongwith the application in cash, cheque or draft Where applications are submitted at UTI offices, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the office at which the application is tendered is situated.

Provided however that the applicant who wishes to apply for units from a place other than where the Trust has its office may do so by sending the application to the office of the Trust along with the bank draft for number of units applied for, deducting therefrom charges payable for bank draft.

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the cheque is received by the Trust or authorised collection centre. If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the Trust or authorised collection centre within such time as may be deemed reasonable by the Trust. If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for, the applicant shall be issued such lower number of units as could be issued under the scheme, the balance due to him shall be refunded at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(2) *Right of Trust to accept or reject application* :

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject an application for issue of units under the scheme and plan made thereunder. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person is make an application under the scheme and plan made thereunder shall be final.

Incomplete Application Liable For Rejection :

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without any interest whatsoever after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(3) *Applicant bound to comply with requirements under the scheme and the plan made thereunder before being issued units* :

Persons applying for units under the scheme and the plan made thereunder shall be bound to satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust. The compliance or otherwise to the satisfaction of the Trust of such requirements shall be at the sole discretion of the Trust. Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the membership cancelled and the name deleted from the register of members. The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at a value as may be decided and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance. The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

V. *Sale of Units* :

The contract for sale of untis by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall, as soon thereafter as possible, send to the applicant by post a membership advice evidencing that he has been admitted as a member in the scheme and the plan made thereunder.

The Trust will not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the membership advice, so sent. In case the investment is made in instalments the membership advice shall be sent only at the time of the first instalment, thereafter only acknowledgement receipts shall be issued The further instalments shall be indicated in the annual statement which will be sent to the member each year. Thereafter also the current value of a member's holding in the scheme and the plan made thereunder will be intimated to him annually.

VI. *Repurchase of units* :

1[(1) Repurchase shall be allowed only after 70 years of age of the member or in some special circumstances (solely at the discretion of the Trust).

In case of premature withdrawal from the Scheme and the Plan made thereunder before the member completes 70 years of age, a penalty of 10% shall be charged on the repurchase amount to be calculated on NAV.

In addition the members shall also be entitled to encash the income distribution warrant, if any, upto the month prior to the month of repurchase. The amount so recovered as penalty on premature withdrawals will be ploughed back into the Plan for the benefit of the continuing members.]

2[(1A) The member shall be under no obligation to offer his units for repurchase as provided in sub-clause (1) above and he will be free to hold them as long as he desires during the currency of the Plan.]

---

1. Substituted on 21-11-94 for "Repurchase shall be allowed only after 70 years of age of the member or in some special circumstances (solely at the discretion of the Trust).

   In case of premature withdrawal from the Scheme and the Plan made thereunder before the member complete 70 years of age, a penalty of 10% shall be charged on the repurchase amount."

2. Inserted on 21-11-94.

(2) 1[The Trust shall repurchase units at NAV. In addition the member shall also be entitled to encash the income distribution warrant upto the month prior to the month of repurchase. Repurchase shall be effected on receipt of the membership advice with the form of repurchase duly filled in. All the units under a folio should be repurchased. No partial repurchase of units shall be permitted. The member while making an application for repurchase shall be bound to surrender all the unpaid Income Distribution Warrants remaining outstanding upto and inclusive of the month of repurchase to the Trust. The Trust shall not on accepting the membership advice along with the form for repurchase be bound to pay any Income Distribution on the units for the future months nor shall any interest be payable on the repurchase proceeds. All the documents and the unpaid Income Distribution Warrants, if any, received shall be retained by the Trust for cancellation.]

(3) Notwithstanding anything contained in the forgoing sub-clauses the Trust shall be at liberty while repurchasing the units, in the event of failure of the member to surrender the Income Distribution Warrants which are then outstanding to deduct from the repurchase price such amount representing the amount of the Income Distribution Warrant payable in future as have not been surrendered and pay the balance to the member. On the acceptance of the membership advice and the form for repurchase by the Trust, the members' right to receive future Income Distribution including the Income Distribution for the month of acceptance will cease and the Trust shall have a claim on the amount/s represented by such outstanding Income Distribution.

(4) In the event of the death of the member and on surrender to the Trust by the legal representative or nominee of the membership advice, the form of repurchase and the unpaid Income Distribution Warrants outstanding to the deceased member, the Trust shall on compliance with the formalities in connection with the recognition of claim, repurchase the units in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust.

(5) Payment for units repurchased by the Trust after the deductions, if any, shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the application. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

VII. *Restrictions on repurchase of units* :

Notwithstanding anything contained in any provision of the scheme and the plan made thereunder, the Trust shall not be under an obligation to repurchase units :

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period when the register of members is closed in connection with (as notified by the Trust) the annual closing of the books and accounts.

1. Substituted on 21-11-94 for "The Trust shall repurchase units at a price, which shall be determined and announced by the Trust, after deducting administratvie cost not exceeding 5% of the face value, plus income upto the previous month.

Repurchase shall be effected on receipt of the membership advice with the form of repurchase duly filled in. All the units under a Folio should be repurchased. No partial repurchase of units shall be permitted. The member while making an application for repurchase shall be bound to surrender all the unpaid Income Distribution Warrants remaining outstanding upto and inclusive of the month of repurchase to the Trust.

The Trust shall not on accepting the membership advice along with the form for repurchase be bound to pay any Income Distribution on the units for the future months nor shall any interest be payable on the repurchase proceeds. All the documents and the unpaid Income Distribution Warrants if any, received shall be retained by the Trust for cancellation.

Explanation :

For the purpose of this scheme and plan made thereunder the term "working day" shall mean a day which has not been either

(i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Trust has its offices; or

(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

VIII. *Membership Advice* :

No Unit/Membership certificate shall be issued to a member in respect of his membership of units issued under the scheme and the Plan made thereunder. They will however be given a membership advice evidencing admission as a member in the scheme and the Plan made thereunder. The membership advice shall be as per Form A annexed hereto.

IX. *Exchange of membership advice and procedure when advice is mutilated, defaced, lost etc.* :

For the purpose aforsaid the member under the scheme and the Plan thereunder shall follow such rules/guidelines/procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

X. *Register of members* :

The following provisions shall have effect with regard to the registration of members :—

(1) A register of the members shall be kept by the Trust and there shall be entered in the register inter alia :

(a) the names and addresses of the members;

(b) the number of the membership advice and the number of units held by every such person; and

(c) the date on which such person became the holder of the units standing in his name.

(2) Any change of name or address on the part of any member shall be notified to the Trust, which on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly.

(3) Except when the register are closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained the register shall durnig business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any member without charge.

(4) The register will be closed at such times and for such periods as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 60 days in any one year. The Trust shall give notice of such closure by advertisement in newspapers or other media.

(5) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any unit.

XI. *Receipt by member to discharge Trust* :

The receipt of the member for any moneys paid to him in respect of the units represented by the Scheme and the Plan thereunder shall be a good discharge to the Trust.

XII. *Nomination by members* :

A member may exercise the right to make or cancel a nomination to the extent provided in the regulations.

XIII. *Death or bankruptcy of a member* :

(1) In the event of death of the member under the Scheme and the Plan made thereunder, the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person having any title to the units, in the absence of a valid nomination, the executor or administrators of the deceased member or a holder of succession certificate issued under part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only person recognised by the Trust as having any title to the units.

(2) Any person becoming entitled to the units consequent upon the death of a member may upon producing such evidence to his title as the Trust shall cosider sufficient, be entitled to the repurchase value of the units standing to the credit of the deceased member after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

(3) In case of death of the member the nominee/legal heir shall have the option to invest the repurchase value of the outstanding units in any other Scheme/Plan of UTI which may be open at that time subject to the nominee/legal heir being otherwise eligible to join such Schemes/Plans and in accordance with the provisions of such Scheme/Plan. Such conversion shall be made at no extra cost to the concerned nominee/legal heir.

XIV. *Income Distribution* :

(1) There shall be no guaranteed rate of return. The rate of return shall be fixed by the Trust at its discretion and revised if so necessary. The revised rate shall also be binding on the members. The Trust may as early as possible after determining the rate publish it in such a manner as it may deem fit.

[1][Till the member becomes eligible for receiving the income distribution. the income declared every year in the month of July as per rate of return mentioned above, shall be reinvested in future units at the sale price of the unit in the month of July of that year. In the first year of sale of units under the Plan, pro-rata income for the period sale is open shall be declared and reinvested.]

(2) The income distributable to the members shall be paid on a monthly basis on completion of 58 years of age of the member to be calculated as per provisions herein contained.

(3) Income shall be paid at the beginning of each year by means of post dated Income Distribution Warrants. The first income distribution shall be paid on a pro-rata basis depending on the month when the 58th birthday of the member falls. For eg. If a member's 58th birthday falls in October 2002, then the Income Distribution warrants for 9 months (i.e. from October 2002 to June 2003) will be sent to the member in July 2002.

The Income Distrbution Warrants for subsequent years shall be sent in advance for one year at a time in the month of July.

The Trust however, reserves the right to forward post dated Income Distrbutoin Warrants for such of the members as may be applicable in such manner and for such periods as the Trust may determine.

(4) Subject to the provisions of sub-clause (3), the warrants for payment of income distribution on a monthly basis will be sent to the member once in a year and the warrants will be so dated that the member shall encash each one of the warrants on becoming mature for payment. Every warrant shall have validity for three months. The Trust shall not be bound to pay interest in the event of any of the warrants not reaching the members before the expiry of the validity period or in the event of their becoming stale.

(5) In the event of repurchase (after completion of 70 years of the member) which shall always be in full, the member upon non-surrender of unpaid warrants shall be entitled to encash these warrants which are due for the subsequent months and remaining in the custody of the members on the dates of maturity and the amount represented by such Income Distribution Warrants shall be deducted from the repurchase proceeds.

(6) Notwithstanding anything contained in the forgoing sub-clauses the Trust reserves its right to make the Income Distribution on a quarterly, half yearly or annual basis as the case may be, should the reasons of expediency, cost, interest of members and other circumstances make it necessary for the Trust to do so. In such an event the Trust shall notify the members by a publication in two leading English language daily newspapers. No member shall have a right to claim Income Distribution on monthly basis after the Trust makes a notification as above.

[1][XV. *Determination of Net Asset Value (NAV)* :

The Net Asset Value of the Plan shall be calculated by determining the value of the Scheme's assets and subtracting the liabilities of the Scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the Plan by the total number of units issued and outstanding on that date. This NAV shall be published atleast in two daily newspapers at intervals not exceeding a fortnight or at such intervals as may be approved by SEBI in their guidelines on NAV. The determination of NAV will be subject to Regulations and Gudielines that may be prescribed by SEBI in due course.]

---

[1]Inserted on 21-11-94.

FORM A

—EMBLEM —

UNIT TRUST OF INDIA

RETIREMENT BENEFIT PLAN

(CLAUSE VIII)

MEMBERSHIP ADVICE

Issued in accordance with the provisions of the Retirement Benefit Plan formulated under the Retirement Benefit Unit Scheme.

NOT TRANSFERABLE

Membership No.
Folio No.
No. of Units (Face value of Rs. 10/- per Unit)
Name of the Member
Address :

For UNIT TRUST OF INDIA
Zonal Head

Place :
Date :

FORM OF APPLICATION FOR REPURCHASE OF UNITS ISSUED UNDER THE RETIREMENT BENEFIT UNIT SCHEME AND THE RETIREMENT BENEFIT PLAN

Date ——————

To,
Unit Trust of India,

——————
——————

I, —————— am the registered member/nominee/legal heir of the deceased member of all units of the Unit Trust of India under Retirement Benefit Plan con-

tained in Folio No. ———— for ———— units and am desirous of selling to the Trust all the said units at the repurchase price prevailing/determined by the Trust on the date of acceptance in respect of this application.

The Membership Advice issued is enclosed.

The repurchase price of the units may be sent to me by *cheque/bank draft at the address given below.

Signature of witness

Name ————————

Occupation :

Address :

————————

————————

————————

For office use only
Date of acceptance

Signature/Thumb Impression** of member/nominee/legal heir

————————

Address of member or nomniee or legal heir/Address of the Banker (should be given if the style of members signature has varied and is varified by Banker, in which case the cheque/DD will be sent direct to the Bank.)

————————

————————

Account No. ————————

*Delete words not applicable.

**If the member is affixing thump impression, it should be attested by a Magistrate/Notary/Gazetted Officer of State/Central Govt. or Officer of RBI/IDBI.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1995
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1995